बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 383993 पटना, दिनांक:- 10/08/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(नि0का0)-102-72/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज, भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।
बिहार ।

विषय:- **गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्माण कराये गये इंदिरा आवासों से संबंधित प्रतिवेदन के के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 1989 से आरंभ की गई जवाहर रोजगार योजना (JRY) के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवार के लिए इंदिरा आवास निर्माण हेतु 6 प्रतिशत राशि कर्णांकित थी जिसे बाद में 1989 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया था । इसके पूर्व 1980 से शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम (NREP) एवं 1983 से आरंभ की गई ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) के अंतर्गत भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए इंदिरा आवास निर्माण की योजना भी चलाई गई थी । उक्त योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले चुने हुए लोगों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ उनके लिए मकान का निर्माण भी कराया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत भी गरीब परिवारों के आवास निर्माण कराये गये हैं । चूँकि तत्समय बी0पी0एल0 सूची अस्तित्व में नहीं थी, अतएव इन योजनाओं के अंतर्गत चुने हुए परिवारों का प्राय: गुच्छ समूह **(Cluster)** में ही आवास का निर्माण कराया गया है । इंदिरा आवास योजना के आरंभ में भी इंदिरा आवासों का निर्माण गुच्छ समूहों (Cluster) में उसी स्थान पर किये जाने का निदेश दिया गया था जहाँ लाभान्वित निवास करते हैं ।

उपर्युक्त योजनाओं के तहत आवासों का निर्माण काफी पूर्व होने के कारण जहाँ जीर्ण-शीर्ण आवास में लाभुक परिवार असुरक्षित जीवन बिताने के लिए विवशता की स्थिति में हैं वहीं दूसरी ओर आवास योजना के अंतर्गत पूर्व में लाभान्वित होने के कारण वे नई योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं रह गये हैं ।

01.04.2004 से पूर्व इंदिरा आवास योजना के तहत लाभान्वित कराये गये वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार जिनका आवास लिंटर स्तर तक निर्मित हैं किन्तु छत निर्माण नहीं किये जाने के कारण अधूरा/अपूर्ण है, को पूर्ण कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है । किन्तु इसमें प्राय: इंदिरा आवास योजना के पूर्व की योजना अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण

नियोजन कार्यक्रम (NREP), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) एवं जवाहर रोजगार योजना (JRY) अथवा राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत विशेषकर गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्माण कराये गये आवासों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है ।

ऐसे परिवारों के समक्ष आवास की समस्या के समाधान हेतु गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्माण कराये गये इंदिरा आवासों के पुनरूद्धार कराने की योजना राज्य स्तर पर विचाराधीन है ।

अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों के गुच्छ समूहों (Cluster) में निर्माण कराये गये आवासों को निम्न मापदण्डों के आधार पर चिन्हित किया जाय :-

(1) लाभुक अथवा उनके उत्तराधिकारी वर्तमान में निवास करते हों ।

(2) लाभुक अथवा उनके उत्तराधिकारी को इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण/अन्य आवासीय योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु सहायता नहीं दी गई हो ।

(3) लाभार्थी अथवा उनके उत्तराधिकारी का कोई दूसरा पक्का घर नहीं हो ।

(4) लाभार्थी अथवा उनके उत्तराधिकारी वर्तमान में स्थायी सरकारी सेवक नहीं हो ।

उपर्युक्त आधार पर तैयार की गई सूची में जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कोटिवार (SC, ST, बंधुआ मजदूर एवं अन्य) परिवारों की संख्या विभाग को दिनांक 31.08.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि इस संबंध में योजना की रूपरेखा तैयार कर योजना कार्यान्वयन के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जा सके ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज) 10/8

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 383993 पटना, दिनांक 10/08/18

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10/8

सरकार के संयुक्त सचिव